न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2015/00056

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

पतराम पुत्र भारूराम जाति जाट निवासी 24 एसडी सुरतगढ़

..........प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषकगण

1 पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2 श्री पुरुषोतम सारस्वत अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

–:निर्णय: **दिनांक:– 31.10.2022**

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 1 पीकेएम के मु0नं0 204/25 के किला नं0 18, 23 में कुल तादादी 2.00 बीघा रकबा में खातेदार पतराम पुत्र भारुराम जाति जाट निवासी 24 एसडी सुरतगढ़ द्वारा अवैध जिप्सम का खनन करते पाया गया। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

सर्वप्रथम वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये तहसीलदार खाजूवाला नोटिस तामिल करवाया गया। प्रतिवादी की ओर अधिवक्ता पुरुषोतम सारस्वत प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार प्रतिवादी के नाम चक 1 पीकेएम मुरब्बा नं0 204/25 के किला नं0 1, 10, 11, 16, 17, 19 ता 22, 24, 25 की तादादी 11.00 बीघा रकबा रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कागजात है तथा मौके पर प्रतिवादी ढाणी बनाकर काबिज काश्त है। ग्वार की फसल खड़ी है एकमात्र जीविकोपार्जन का साधन खेती है। प्रतिवादी खेतीहर किसान है। वादपत्र निराधार है व मनगढ़त पटवारी रिपोर्ट के आधार पर किला नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:25 IST
Reason: Self Attested

18, 23 में जिप्सम खनन बताकर दावा पेश किया है जबकि मौके पर कोई खनन कभी हुआही नहीं। ना ही आरआई गिरदावर मय तहसीलदार महोदय ने स्वंय मौका देखा सरसरी तौर पर बैजा कार्यवाही की गई है जो अस्वीकार है। खातेदारी अधिकारों से कृषक को वंचित करना एक कठिन उपचार है केवल धारा 177 आरटीएक्ट में खातदेरी अधिकारों का अवसान नहीं किया जा सकता है। आवंटन नियम एवं शर्ते उपनिवेशन विभाग के अलग से प्रावधान है। दावा सारहीन एवं निरस्त योग्य है। काश्तकार कृषि सुधार के लिए डिग्गी, खाला, बनाता है। बायो कम्पोस्ट खाद के लिए खड़ा बनाया तो कुछ जिप्सम बाहर आया और किसी ने रंजीशवश पटवारी से मिलकर रिपोर्ट करवा दावा पेश करवा दिया जबकि प्रतिवादी ने कोई खनन नहीं किया है। ना ही बेचान किया और नाही बैचान के लायक जिप्सम खेत में है। बेवजह गरीब काश्तकार को परेशान किया जा रहा है जो कतई सही नहीं है। न्यायहित में वाद खारिज करने योग्य है। वादपत्र विधि से बाधित है। द्वितीय प्रति नहीं है नाही वाद–हैतुक है और ना ही कोई फीस संदय की गई है नियम विरुद्ध दावा चलने योग्य नहीं है इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी का जवाब स्वीकार कर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार खाजूवाला के पत्रांक/कोर्ट/2020/100 दिनांक 25.02.2020 अनुसार भू.अ. निरीक्षक 6 पी.एच.एम व पटवार हल्का माधोडिग्गी से रिपोर्ट ली गई है जिसके अनुसार पटवार मण्डल माधोडिग्गी के चक 1 पीकेएम के मु0नं0 204/25 के किला नं0 1, 10, 11, 16 ता 25 की 13.00 बीघा कमाण्ड भूमि मौके पर पतराम पुत्र भारुराम जाति जाट निवासी माधोडिग्गी काश्त करता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के मुताबिक चक 1 पीकेएम मु0नं0 204/25 उक्त रकबा पतराम पुत्र भारुराम जाति जाट के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

   .....जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

   ......जिम्मे प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:25 IST
Reason: SelfAttested

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य/सबूत की जगह सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी रिपोर्ट 10.12.2014 व तहसीलदार रिपोर्ट 25.2.2020 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। वाद के निस्तारण में इस न्यायालय की यह अनुभूति रही है कि राज्यपक्ष ने वाद पत्र प्रस्तुत करके अपने दायित्व की इतिश्री मान ली है। चूंकि वादपत्र राज्यपक्ष के हित से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था तथा ट्रायल कोर्ट के नाते वादपत्र पर बुनयादी कमियों के बावजूद राज्य पक्ष के सुविधा के सतुंलन को स्वीकार किया गया था। राजपैरोकार ने वादपत्र प्रस्तुत करने के बाद राज्य पक्ष की अनमने ढ़ग से पैरवी की है। यह तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 25.2.2020 से प्रतीत होता है तथा राज्य पक्ष का भार भी न्यायालय पर डाला है। प्रतिवादी ने जवाब में स्वीकार किया है कि 'खड्डा बनाया तो कुछ जिप्सम बाहर निकला' इसके मायने ये है कि जो पटवारी ने रिपोर्ट में अवैध खनन की रिपोर्ट की है। उसको बिल्कुल निराधार नहीं माना जा सकता है। पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि भूमि में जिप्सम है तथा जिप्सम माफिया आवंटी से शह से अथवा चौरीछुपे खनन कर रहे है। आवंटी का यह दायित्व है कि वह आवंटन शर्तों की पालना करते हुए कृषि कार्य करें, अवैध खनन न करें न ही करने दें। पत्रावली से स्पष्ट है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। अपने दायित्व को पूर्ण नहीं किया है। उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि का आवंटन एवं खातेदारी पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 एवं उसके अधीन बनी शर्ते 1955 लागू है। काश्तकार द्वारा भूमिधारी की कमजोरी का लाभ उठाकर शर्तों की अवहेलना की गई है। प्रस्तुत प्रकरण में भूमिधारी द्वारा एक मजबूत प्रकरण के रुप में प्रकरण दर्ज नहीं करवाया गया है हालांकि जमाबंदी नक्शा में जरुर अवैध खनन दर्शाया है। भूमिधारक सरकार कर्मचारी है उसकी उदासीनता का दण्ड समस्त समाज को नहीं दिया जा सकता। कानून के शासक में कानून तोड़ने की सुविधा मिलने पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। खाजूवाला क्षेत्र में खनिज जिप्सम का अवैध खनन की बड़े स्तर पर शिकायते लगातार आती रही है। इस वादपत्र अनुसार इस भूमि के किला नं0 18, 23 पर भी अवैध खनन हुआ है, जिसके लिए काश्तकार को क्षमा नहीं किया जा सकता है ताकि अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलन्द ना हो और अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम हो सके।

उपरोक्त विवेचन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुॅचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर [illegible] अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार [illegible] कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जो तहसीलदार रिपोर्ट (हल्का पटवारी) से साबित होता है, साथ ही वादपत्र प्रस्तुत के समय रिपोर्ट पटवारी 10.12.2014 में अवैध खनन होना लिखा है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:25 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित होने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित करने में असफल हो जाने के कारण प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177, उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित शर्ते 1955 की शर्त संख्या 7, 20, 23 एवं उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 11, 14 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 की शक्तियों के अनुसरण में प्रतिवादी खातेदार की खाते की भूमि चक 1 पीकेएम मु0नं0 204/25 के किला नं0 18, 23 की उक्त भूमि की खातेदारी खारिज की जाती है तथा रकबा राजकीय भूमि घोषित किया जाता है साथ ही खातेदार पर दो हजार रुपये की शास्ति कायम की जाती है। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला के लिए पालनार्थ डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:12:25 IST
Reason: SelfAttested